भारत का संघ

बनाम

कुलदीप सिंह

8 दिसम्बर, 2003

(दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.)

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-धाराएं 9ए, 25ए और 29-सजा में कमी-हेरोइन के निर्माण में उपयोग किये जाने वाले 880 लीटर नियंत्रित पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त से- अभियुक्त के पिता की उम्र को और आरोपी अदातन अपराधी नहीं होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा सजा को कम किया गया-सजा को कम करने के लिए आधार असमर्थनीय-आपराधिक कानून-सजा।

आपराधिक कानून-सजा- सजा में कमी- अपीलय न्यायालय का विवेकाधिकार-का अभ्यास- उच्च न्यायालय द्वारा सजा कम करना जहां किसी व्यक्ति के मामले में उसके कब्जे से भारी मात्रा में स्वापक औषधि बरामद करने का सामान बरामद किया गया हो- आयोजित, विवेक का ठीक से प्रयोग नहीं किया गया।

शब्द और वाक्यांश्ज्ञः 'विवेक'-का अर्थ।

अभियुक्त के कब्जेशुदा कोठे से 880 लीटर एसिटिक एन हाइड्राइड (हेरोइन के निर्माण हेतु प्रयुक्त) बरामद किया गया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा धारा 9ए/25ए और धारा

9ए/25ए सपठित धारा 29 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अभियुक्त द्वारा अपील करने पर उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन अभियुक्त की सजा को घटाकर साढे छह वर्ष कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अभियुक्त आदतन अपराधी नहीं था और उसके पिता की आयु 85 वर्ष थी, अभियुक्त की मां की मृत्यु हो गई थी और अभियुक्त के परिवार में कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं था।

राज्य ने अभियुक्त को दी गई सजा की मात्रा को चुनौती देते हुए अदालत में अपील दायर की। अभियुक्त ने तर्क दिया कि उन अपराधों के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई थी, जिनके लिए अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग कर अभियुक्त की सजा को घटाकर साढे छह साल करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

अपील की अनुमति देना और विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा को बहाल करना, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

1.1 कानून सामाजिक हितों को नियंत्रित करता है, परस्पर दावे और मांग मामलों मे मध्यस्थता करता है। निस्संदेह, एक पार सांस्कृतिक संघर्ष में जब जीवित कानून को नई चुनौतियों का जवाब ढूंढना होता है और अदालतों को चुनौतियों का समाधान करने के लिए सजा प्रणाली को ढालने की आवश्यकता होती है। सजा देने की प्रणाली के संचालन में, कानून को सुधारात्मक विधि अपनानी चाहिए। कानून को सुधारात्मक मशीनरी अथवा निवारण प्रक्रिया को तथ्यों को देखते हुए अपनाना चाहिए। कुशल मॉडयूलेशन द्वारा सजा देने की प्रक्रिया कठोर हो जहां यह होनी चाहिए और दया के साथ शांत हो जहां यह होना चाहिए। प्रत्येक मामले में तथ्य और दी गई

परिस्थितियां, अपराध की प्रकृति जिस तरीके से इसकी योजना बनाई थी और किया गया था, अभियुक्त द्वारा अपराध करने का उद्देश्य, अभियुक्त का आचरण एवं अन्य सभी उपस्थित परिस्थितियां प्रासंगिक तथ्य है। जिन पर विचार किया जाना चाहिए। (534-डी-एफ)

1.2 अपर्याप्त सजा देने के लिए अनुचित सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। कानून और समाज की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कम करने के लिए इस तरह के गंभीर खतरों के तहत लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता है। इसलिए प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित सजा दे जिस तरह से इसे निष्पादित या प्रतिबद्ध किया गया था आदि। {534-जी-एच}

सेवक पेरूमल आदि बनाम तमिलनाडू राज्य, एआईआर (1991) एससी 1463, संदर्भित किया गया।

1.3 आपराधिक कानून सामान्य रूप से इस सिद्धांत का पालन करता है कि प्रत्येक प्रकार के अपराधिक आचरण की दोषसिद्धि के अनुसार दायित्व निर्धारित करने में आनुपातिकता। यह आमतौर प्रत्येक मामले में सजा पर पहुंचने में न्यायाधीश को कुछ महत्वपूर्ण विवेक की अनुमति देता है। संभवतः ऐसे वाक्यों की अनुमति देने के लिए जो अधिक सूक्ष्म विचारों को दर्शाते हैं। प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों द्वारा उठाए गए दोष का अपराध और सजा के बीच का अनुपता एक ऐसा लक्ष्य है, जिसका सम्मान किया जाता है। यह सजा को निर्धारित करने के लिए मजबूत प्रभाव है। {3535-ए-बी-सी-डी}

1.4 प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने के बाद किसी अपराध के लिए न्यायसंगत और उचित सजा देने का निर्णय लेने के लिए उन

उत्तेजक और कम करने वाले कारकों और परिवेशक स्थितियों को जिनमें अपराध किया गया है, अदालत द्वारा वास्तव में प्रासंगिक परिस्थितियों के आधार पर निष्पक्ष तरीके से संतुलित किया जाना चाहिए। {3535-एफ-जी}

डेनिस काउंसिल एमसीजी दौथा बनाम कैलिफोर्निया राज्य, 402 संयुक्त राज्य अमेरिका 183: 28 एल.डी. 2 डी 711, संदर्भित।

1.5 अभियुक्त को समुचित सजा का उद्देश्य समाज की रक्षा करना और अपराधी को उचित रूप से निरूद्ध करके कानून के उद्देश्य को प्राप्त करना होना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि अदालतें सजा देने की प्रणाली का संचालन करेंगी, ताकि ऐसी सजा दी जा सके जो अदालत की अंतरात्मा को दर्शाती है। समाज और सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां सख्त होनी चाहिए। कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना सजा का अधिरोपण वास्तव में एक व्यर्थ अभ्यास हो सकता है। अपराध के सामाजिक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इसके लिए अनुकरणीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। मामूली सजा देने या उदार रवैया अपनाना ऐसे अपराधों के संबंध में केवल समय बीतने या व्यक्तिगत असुविधाओं के कारण सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण दीर्घकालिक रूप से और सामाजिक हित के खिलाफ परिणामकारी होगा जिसे सजा देने की प्रणाली में निर्मित प्रतिरोध की कडी द्वारा ध्यान रखने और मजबूत करने की आवश्यकता है। {536- बी-ई}

धनंजय चटर्जी बनाम बंगाल राज्य, {1994} 2 एस. सी. सी. 220 और रवजी बनाम राजस्थान राज्य, {1996} 2 एस. सी. सी. 175 संदर्भित।

2.1 नशीली दवाओं का दुरूपयोग और नशीली दवाओं की लत स्वास्थ्य को खराब कर रही है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की कार्य क्षमता कानून की अनुपालना एवं सही उपयोग पर निर्भर करती है, जिससे कि दवाई

तस्कर और उनके कबीले द्वारा दी जा रही चुनौतियों का सामना किया जा सके। कानून को बहुत सख्त बनाया गया है और इसलिए अदालत को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की सख्त अनुपालना और आवश्यकता पर प्रकाश डालना चाहिए। {534-बी-सी}

2.2 मादक द्रव्यों या मनोरोगी उपमादक द्रव्यों से संबंधित अपराध एक आपराधिक मानव वध की तुलना में अधिक जघन्य है क्योंकि बाद वाला मामला मात्र एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, जबकि पहला वाला राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के अलावा समाज पर हानिकारक प्रभाव डालता है। विधायिका द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साईकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को इतना गंभीर बनाये जाने कारण इसके तहत मामलों को कठोरता से निपटाया जाना चाहिए। कठोरता से निपटाये जाने हेतु दूसरी बार दोषसिद्धि में बढे हुए दण्ड का प्रावधान करके इससे स्पष्ट किया गया है।

3. यह है कि स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 25ए या धारा 29 के तहत कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है। लेकिन अधिरोपित दण्ड को किए गए अपराध की गंभीरता के साथ फिट होना चाहिए। अधिनियम के अन्य प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यद्यपि अधिनियम में न्यूनतम सजा के प्रावधान का अभाव है, परंतु यह अधिनियम के अपराध को कम गंभीर मानने का कारण नहीं हो सकता, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना गया। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय केवल खुद को गलत दिशा में ले जा रहा है। न केवल अपराधों की गंभीरता के बारे में लेकिन इसके संदर्भ में भी प्रासंगिक विचार जो अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने में न्यायालय के साथ तोलना चाहिए। {537-डी-एफ}

4.1 विवेक कानून के माध्यम से यह जानना है कि क्या उचित है। यदि कानून या नियमों द्वारा किसी न्यायाधीश को किसी प्रकरण को निर्धारित करने हेतु एक मंत्री

या प्रशासनिक अधिकारी से अलग दी गई कोई अक्षांश या स्वतंत्रता दी गई है तो यह न्यायिक विवेकाधिकार है। यह विवेकाधिकार के प्रयोग को सीमित और विनियमित करता है और इसे पूरी तरह से रिपेक्ष, मजबूत या समीक्षा से मुक्त होने से रोकता है। आमतौर पर निहित मूल अधिकारों के संदर्भ के बजाय सजा के लिए प्रक्रिया या प्रशासन की लागत के मामलों पर दिया जाता है। जब कोई कानून एक न्यायाधीश को विवेकाधिकार देता है तो इसका क्या अर्थ है- एक न्यायिक विवेकाधिकार कानून के ज्ञात नियम के अनुसार विनियमित, न कि केवल जिस व्यक्ति को यह इस धारणा पर दिया जाता है कि वह बुद्धिमान है। {537-एफ-जी, 539-सी-ई}

शार्प बनाम वेकफील्ड (1891) अपील मामले 173 एस. जी. जयसिंघानी बनाम भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर (1967) एस. सी. 1427 हिंडसन और कर्सी, (1680) 8 एचओडब्ल्यू, एसटीख् टीआर, 57 ली बनाम बज रेलवे कं. (1871) एल. आर. 6 सी. पी. 576 मॉर्गन बनाम मॉर्गन, (1869) एलआर 1 पी एंड एम 644, का उल्लेख किया गया है।

टॉमलिन लॉ डिक्शनरी, संदर्भित।

4.2 जहां एक न्यायाधीश के पास न्यायिक विवेकाधिकार होता है और वह अपने आदेश में इसका प्रयोग करता है, ऐसा आदेश अपील योग्य नहीं है जब तक कि उसने कानून या तथ्य की गलती या सिद्धांत की अवहेलना या अप्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखने के बाद नहीं किया हो। यह दिखाने में मदद मिलेगी अगर यह दिखाया जा सके कि ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। (537- एफ-जी)

4.3 ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा विवेकपूर्ण और न्यायिक रूप से विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने ऐसा

लगता है कि आरोपी के पिता की उम्र व उसकी पारिवारिक समस्याओं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक आदलत अपराधी नहीं था पर विचार किया। इस तहर के विचार वास्तव में अर्थहीन है जब कोई इस तथ्य पर विचार करता है कि आरोपी के पास प्रतिबंधित पदार्थ थे जो हजारों लोगों के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को नष्ट कर देते। अदालत किसी भी छोटे अपराध के आरोप में अभियुक्त के साथ व्यवहार नहीं कर रही थी, जहां उसका अदालतन अपराधी नहीं होने के कारण कुछ प्रासंगिक हो सकती हैं। लेकिन वास्तव में एक मादक पदार्थ तस्कर और तस्कर के लिए यह असंगत है। उच्च न्यायालय द्वारा सजा कम करने के लिए दिए गए कारणों का कोई आधार नहीं है। {539- एफ-एचः 540-ए-बी}

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय आपराधिक अपील संख्या 1468/2003

राजस्थान उच्च न्यायालय के क्रमिनल अपील नम्बर 271/2001 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 17.09.2022 से।

यू.यू ललित अपीलार्थी सुश्री सुषमा शुरी की ओर से।

डी एस बाली और सुश्री शालू शर्मा प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

अरिजीत पासायत, जे., लीव मंजूर।

भारत संघ द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के बाद सजा को कम करने के विवादित फेसले की वैधता, वांछनीयता और स्वामित्वकिया पर सवाल उठाया गया है। प्रार्थी को धारा 29 के साथ पठित धारा 9ए/25ए और 9ए/25ए के नार्कोटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में 'एक्ट)

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि जिसके कारण प्रार्थी पर मुकदमा चलाया गया, उसका उल्लेख अनिवार्य है।

श्री आर. पी. शर्मा, निदेशक, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर श्री गंगानगर को दिनांक 12.12.1995 को रात्रि जरिये दूरभाष एक गोपनीय सूचना इस आशय की मिली कि ऐसिटिक एन हाइड्राईड एक अवैध संव्यवहार किया जा रहा है। सूचना पर उसके द्वारा जरिये प्रदर्श पी 01 टीम का गठन किया गया। वह व निदेशक मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरों जोधपुर समय 21ः00 बजे श्री गंगानगर के लिए रवाना हुआ। डॉ. आरपी शर्मा द्वारा टीम को अवगत कराया गया कि एक हजार लीटर एसिटिक एन हाइड्राईड को कच्चा कोठा में छिपाया गया है। यह कोठा ग्राम भागासर अभरोलिया या ग्राम चॉक महाराजा का या आसपास के इलाके के रास्ते पर बना हुआ है। बीएस वशिष्ठ पीडब्ल्यू 01 को जप्ती अधिकारी नियुक्त किया गया तथा उसे आदेशित किया गया कि वह कार्यवाही को आगे बढाए, इसकी पालना वह घटनास्थल पर दिनांकि 13.12.1995 को 06:30 बजे के लगभग पहुंचा और स्वतंत्र गवाह टीपूराम और सख्ताराम को बुलाया। उनसे कोठे के बारे में जानकारी की। उसे ज्ञात हुआ कि कोठा प्रत्थ्यर्थी अभियुक्त कुलदीप सिंह का है तथा जिस खेत पर बना हुआ है, उसे फतेह मोहम्मद को काश्त हेतु दिया गया है। फतेह मोहम्मद से पूछताछ की गई। फतेह मोहम्म्द ने बताया कि कोठा अभियुक्त कुलदीपसिंह का है। तत्पश्चात कुलदीप को उसके घर से बुलाया गया और कोठे को खोला गया, जहां 44 प्लास्टिक के पात्र गेहूं के घूंसे के नीचे रखे हुए पाये गए। इनमें से 43 पात्र काले रंग के व एक पात्र सफेद रंग का था। एसिटिक एन हाइड्राईड को लाने व कब्जे में रखने हेतु अभियुक्त से लाईसेंस की मांग की गई तो अभियुक्त द्वारा लाईसेंस पेश नहीं किया गया। फिर पंचों और अभियुक्त की उपस्थिति में बीएस वशिष्ठ द्वारा 44 पात्रों को दो गुट में बांटकर मार्का पृथक-पृथक अंकित किया गया। वजन करने पर संपूर्ण माल 880 लीटर एसिटिक एन हाईड्राईड था। दोनों गुट से

दो सैम्पल कांच की बोटल में निकाल कर मार्का अंकित किया। शेष माल को पृथक से जप्त कर शील किया गया। शीलशुदा माल पर लेबल चिपकाया जाकर अभियुक्त व पंचों के हस्ताक्षर प्राप्त किये गये। अभियुक्त को उसके बयान लेखबद्ध करने हेतु नोटिस दिया गया। बयान रिकॉर्ड किये गये तथा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा माल को कोतवाली गंगानगर में सुरक्षात रखा गया। जप्तशुदा सैम्पल व बरामदशुदा माल को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो जोधपुर के मालखाने में जमा कराया गया। धारा 57 के तहत उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा गया। नमूना सैम्पल को जांच हेतु भेजा गया। दिनांक 24.11.1995 को अभियुक्त के घर की तलाशी ली गई। जहां एक डायरी व इनलैंड पत्र मिला, जिसे जप्त किया गया। वहां से यह जानकारी मिली की अन्य अभियुक्त मेजसिंह और जबतारसिंह इस अपराध में संलिप्त है तथा षड्यंत्र का भाग है। सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई। रेवेन्यू कॉन्ट्रोल लेबूरेटरी की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि बरामदशुदा माल एसिटिक एन हाइड्राईड है। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 9ए सपठित धारा 25ए व धारा 29 में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप अंतर्गत धारा 9ए/25ए व धारा 9ए/25ए सपठित धारा 29 विचचित कर अभियुक्त को सुनाये गये जिसने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। तत्पश्चात 10 गवाहन के बयान लेखबद्ध किये गये तथा अभियुक्त के धारा 313 के तहत प्रतिकथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। जैसा कि उल्लेख किया गया है।

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील में, अपीलार्थी के रूप में अभियुक्त ने दोषसिद्धि पर गंभीरता से सवाल नहीं उठाया, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित सजा के संबंध में आपत्ति की है कि प्रत्येक दोषसिद्धि पर 10 साल के कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक दोषसिद्धि पर 1,00,000/-जुर्माना तथा अदम अदायगी में एक साल की अधिकतम सजा। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें अधिकतम सजा दी

जानी चाहिए थी। चूंकि दोनों आरोपों के लिए कोई न्यूनतम सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है और प्रावधानों में केवल 10 साल के कारावास और अधिकतम 1,00,000/-रूपये तक के जुर्माने की सजा निर्धारित की गई हैं, इसलिए कारावास और जुर्माना दोनों की अधिकतम सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। यह इंगित किया गया कि विचारण अदालत ने इस पहलू पर विचार नहीं किया था और केवल इस आधार पर कि 880 लीटर प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था और हेरोइन की मात्रा जो वहां से बनाई जा सकती थी, उसे अधिकतम सजा देने के लिए वजन नहीं किया जाना चाहिए था। प्रस्तितियों के संदर्भ में निचली अदालत के समक्ष यह बताया गया कि आरोपी के पिता की आयु 85 वर्ष है और मां की मृत्यु चार महीने पहले हो गई थी पहले और कोई अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि आरोपी भी साढे छह साल तक हिरासत में रहा था और इसलिए हिरासत की सजा को घटाकर गुजरने की अवधि कर दी जानी चाहिए और लगाए गए जुर्माने को भी कम किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि सही की गई है लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि अभियुक्त आदतन अपराधी होने का कोई सबूत दर्शित नहीं हुआ है, पर सजा को घटाकर हिरासत की अवधि साढे छह साल कर दिया गया और जुर्माने को भी घटाकर 25,000]- रूपये कर दिया गया। सजा की कमी को हस्तगत अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है।

अपील स्वीकृत

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती प्रिया यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।